नकल आदेश दि. 27/9/12 ई०

45

# न्यायालय उप जिलाधिकारी सिराथू कौशाम्बी

वाद संख्या 35 सन् 2011 – 2012
धारा 143 ज0वि0 अधिनियम
मौजा अलीपुरजीता आमद हथगांव परगना कड़ा तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी
उमेश सिंह बनाम ग्रामसभा

## निर्णय

श्री उमेश सिंह पुत्र तिलकराज सिंह निवासी 683 राजरूपपुर इलाहाबाद प्रबन्धक स्व0 तिलकराज महाविद्यालय अलीपुरजीता परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी ने धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि वह ग्राम अलीपुरजीता आम हथगांव परगना कड़ा तहसील सिराथू स्थित भूमिधरी भूमि संख्या 130 रकबा 0.179 हे0, 131 रकबा 0.109 हे0, 132 रकबा 0.562 हे0, 186ख रकबा 0.086हे0, 186क रकबा 0.086 हे0 का बतौर प्रबन्धक मालिक स्वामी काबिज दखील है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अकृषक है और उसमें निर्माण हो चुका है कृषि प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अतः प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाये। आवेदक ने कथन के समर्थन में ग्राम अलीपुरजीता आमद हथगांव परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की उद्धरण खतौनी वर्ष 1418–1423 फ0 खाता संख्या 00351, 00352 व खाता संख्या 00002 दाखिल किया है।

प्रकरण में तहसीलदार सिराथू से आवश्यक जॉच कराई गई। जॉचोपरान्त तहसीलदार सिराथू ने नक्शा नजरी सहित आख्या दिनांकित 19.09.2012 प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ग्राम अलीपुरजीता आमद हथगॉव परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के गाटा संख्या 130 रकबा 0.179 हे0, 131 रकबा 0.109 हे0, 132 रकबा 0.562 हे0, 186ख रकबा 0.086हे0, 186क रकबा 0.086 हे0 स्व0 तिलकराज सिंह महाविद्यालय अलीपुरजीता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है जिस पर विद्यालय भवन बना हुआ है एवं आवासीय रूप में विकसित है एवं अकृषिक है अतः उसे अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। तहसीलदार सिराथू ने उ0प्र0 ज0वि0 अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 एवं नियम 135 में निर्धारित प्रारूप पर भी आख्या प्रस्तुत की है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अनुशीलन किया एवं वादी के सुबुद्ध अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम अलीपुरजीता आमद हथगॉव परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की उद्धरण खतौनी वर्ष 1418–1423 फ0 खाता संख्या 00351, 00352 व खाता संख्या 00002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि स्व0 तिलकराज सिंह महाविद्यालय अलीपुरजीता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसीलदार सिराथू की आख्या 19.09.2012 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर विद्यालय भवन बना है और वह अकृषिक है। ऐसी स्थिति में श्री उमेश सिंह का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम अलीपुरजीता आमद हथगॉव परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की उद्धरण खतौनी वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या 00351, 00352 व खाता संख्या 00002 पर दर्ज भूमि संख्या 130 रकबा 0.179 हे0, 131 रकबा 0.109 हे0, 132 रकबा 0.562 हे0, 186ख रकबा 0.086हे0, 186क रकबा 0.086 हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। नक्शा नजरी इस आदेश का अंग होगा। इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप–निबन्धक सिराथू को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। तदनुसार परवाना जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

27/9/12
(रामदत्त राम)
उप जिलाधिकारी सिराथू
कौशाम्बी।

दिनांक 27 सितम्बर 2012

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित।

27/9/12
(रामदत्त राम)
उप जिलाधिकारी सिराथू
कौशाम्बी।

दिनांक 27 सितम्बर 2012

प्रतिलिपि पाने वाले का हस्ताक्षर

10823

Scanned with CamScanner